संख्या – 434/V-2–2017–60(आ0)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
(जिलाधिकारी अल्मोड़ा को छोड़कर)
स्थानीय विकास प्राधिकण (पूर्व विनियमित क्षेत्र)
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 30 जून, 2017

विषय : अधिसूचित स्थानीय प्राधिकरणों को अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था तथा मार्गदर्शन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कतिपय विनियमित क्षेत्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचित स्थानीय विकास प्राधिकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये गये हैं। उक्त अधिसूचित स्थानीय विकास क्षेत्रों (पूर्व विनियमित क्षेत्रों) में पूर्व में कार्यरत् नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 04(1) में स्थानीय विकास प्राधिकरण अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचित स्थानीय विकास प्राधिकरणों में से कई में अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यो के संचालन व कियान्वयन हेतु मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है :–

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचित स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा कार्यो के कियान्वयन हेतु उस अवधि जब तक इनके संचालन हेतु अग्रिम आदेश निर्गत नहीं किए जाते निम्नवत् व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) पूर्व में उक्त विनियमित क्षेत्रों में कार्यवाही उ0प्र0 (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1958 के तहत की जा रही थी परन्तु वर्तमान में उक्त विनियमित क्षेत्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है तथा उक्त विकास क्षेत्रों के संबंध में स्थानीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गठित किया गया है। उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 की धारा 59(6)(क) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि पूर्व में उ0प्र0 (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1958 के तहत कार्यवाही की गयी है, तो वह कार्यवाही, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 के अधीन मानी जायेगी, यथा जो कार्यवाही अवैध निर्माणों के विरूद्ध विनियमित क्षेत्रों द्वारा पूर्व में की गयी है, वह कार्यवाही उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 के तहत कार्यवाही मानी जायेगी तथा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा आदेश पारित किए जायेंगे।

406
6/7/17

(2) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 की धारा 59(6)(च) में व्यवस्था है कि जिन प्रकरणों में उ0प्र0 (भवन निर्माण संक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1958 के तहत अवैध निर्माण की कार्यवाही कर दी गयी हो, उससे संबंधित समस्त अपीलें अध्यक्ष, स्थानीय विकास प्राधिकरण के समक्ष योजित समझी जायेगी तथा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जायेगा। सम्प्रति उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 के तहत यदि प्रकरण में उक्त अधिनियम में अपील का प्रावधान नहीं है तो उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में अपील का प्रावधान नहीं है तो उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण के समक्ष उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 की धारा 7(ख)(4) के अन्तर्गत निगरानी योजित की जा सकती है।

(3) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नवगठित स्थानीय प्राधिकरण, जिनमें अभी तक बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों में बोर्ड गठन होने तक बजट एवं बोर्ड से सम्बन्धित सभी प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जायेगें।

(4) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधिनियम, 1973 की धारा 53(3)के अन्तर्गत स्थानीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अधिनियम की शक्तियों का प्रतिनिधायन सचिव, स्थानीय विकास प्राधिकरण को किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–434/v-2–2017–60(आ0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
2. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, (अपर जिलाधिकारी अल्मोड़ा को छोड़कर), स्थानीय विकास प्राधिकण (पूर्व विनियमित क्षेत्र), उत्तराखण्ड।
4. सिटी मजिस्ट्रेट, स्थानीय विकास प्राधिकरण, हल्द्वानी–काठगोदाम, नैनीताल।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव